तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.7.19	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उप०। प्रार्थना पत्र 212 RT Act की बहस वकील अपीलार्थी सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र दि० 26.7.19 को पेश हो।	
	~~पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्य [illegible] अफसोस रखेते है। अन्य कार्य [illegible] अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक..................को पेश हों।~~	
26.7.19	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित। निर्णय सुनाया गया विस्तृत निर्णय पृथक से पाबंद कराया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर सलंग्न मूल रहे। [signature] उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2020.12.29 13:22:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

प्रार्थना पत्र 29/2018 — पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक :– 20.07.2018 — गोरधनलाल मीना (RAS)

बउनवान

1. हरजी आत्मज रामनाथ जाति माली निवासी इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)

– प्रार्थी –

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
2. नगर पालिका जर्ये अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
3. नगर पालिका जर्ये अध्यक्ष नगर पालिका इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)

– अप्रार्थीगण –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :– 26.07.2019

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट में प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 297 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा संख्या 300 रकबा 0.95 हैक्टर जिसके सेटलमेन्ट पूर्व के खसरा नं0 43 मिन व 41 मिन है किस्म गैर मु. भटफोड सिवायचक ग्राम इन्द्रगढ जिला बून्दी में स्थित है।

प्रार्थना पत्र में वर्णित उक्त खसरा नम्बरों की कृषि भूमि पर प्रार्थी के पिता स्व. रामनाथ खेती करते थे। प्रार्थी के पिता की मृत्यु के पश्चात प्रार्थी उक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। वाद विषयक आराजी पर गत 50 वर्षो से भी अधिक समय से काबिज होकर काश्त कर रहा है। प्रार्थी विवादित आराजी पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर स्वतः ही खातेदार हो गया हैं। प्रार्थी के कब्जे काश्त की उक्त विवादित आराजी से बेदखल करने हेतु अप्रार्थीगण आमादा हैं। ओर निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो अप्रार्थीगण अपनी ताकत के बल पर प्रार्थी को कब्जे काश्त कृषि भूमि से बेदखल कर देगें। जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। जिसकी पूर्ति किसी तरह सम्भव नही है और अन्त में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 3 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि विवादित आराजी राजकीय सिवायचक द... रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2020.12.29 13:22:04 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

अतिकमी के विरूद्व नियमानुसार तावान कायम की जाकर बेदखली की कार्यवाही की जाती रही है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 3 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नं0 300 रकबा 0.95 हैक्टर की कृषि भूमि वर्ष 2002 से पूर्व सिवायचक राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। उक्त विवादित आराजी श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बून्दी के आदेश कमांक 33 दिनांक 11.03.2002 से नगर पालिका इन्द्रगढ को आबादी विस्तार हेतु आवंटन हुई व नामान्तकरण संख्या 106 दिनांक 13.4.2002 से नगर पालिका इन्द्रगढ के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। वर्तमान मे उक्त कृषि भूमि नगर पालिका इन्द्रगढ के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। और अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. पर बहस अन्तिम उभय पक्षों की सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि प्रार्थी का विवादित आराजी पर गत 50 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित वाद माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी से रिमाण्ड होकर आया है। प्रार्थी की साक्ष्य लेकर निर्णय किया जाना है। अप्रार्थीगण बल पूर्वक कब्जा लेना चाहते है। यदि प्रार्थी को बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस का विरोध करते हुए कथन किया गया कि विवादित आराजी खसरा नं0 300 रकबा 0.95 हैक्टर वाके ग्राम इन्द्रगढ राजस्व रिकार्ड में नगर पालिका इन्द्रगढ के नाम दर्ज रिकार्ड है जो नगर पालिका इन्द्रगढ को आबादी विस्तार हेतु जनहित को मध्यनजर रखते हुए आवटन की गई थी। उक्त विवादित आराजी पूर्व से ही सिवायचक कृषि भूमि थी जिस पर प्रार्थी द्वारा अनाधिकृत कब्जा किया था। जिसको बेदखल किया जाता रहा है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

हमारे द्वारा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन मे कोई ठोस साक्ष्य सबूत पेश नही किये गये न ही कोई पूर्व न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये। चूंकि विवादित आराजी राजकीय सिवायचक भूमि थी जो वर्ष 2002 में नगर पालिका को जनहित में आबादी विस्तार हेतु आवंटन की गई थी। राजस्व रिकार्ड में नगर पालिका इन्द्रगढ बतौर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति की सम्भावना नही है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहें।

निर्णय दिनांक 26.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2020.12.29 13:22:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner